(18)

आयुक्त/अध्यक्ष महोदय

आपकी अध्यक्षता में दिनांक 12.5.99 को सम्पन्न हुई प्राधिकरण बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त सम्मुख आपके अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

UBSingh 27.05.99

सचिव
म. दे. वि. प्रा.

उपाध्यक्ष,
म. दे. वि. प्रा., 27.5.99

31/5/99

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-5-99 में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की उपस्थिति :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पद	हस्ताक्षर
1.	श्री बी. एम. वोहरा, आयुक्त/अध्यक्ष	12/5/99
2.	श्री राम कृष्ण, उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा.	
3.	श्री तेजपाल सिंह, जिलाधिकारी, देहरादून	
4.	श्री गणेश जोशी, सदस्य, म. दे. वि. प्रा.	
5.	श्री अमीचन्द मंगला, सदस्य. म. दे. वि. प्रा.	12/5
6.	श्रीमती अनीता सक्सेना, सदस्य. म. दे. वि. प्रा	अनीता सक्सेना
7.	हरिश्चन्द्र जोशी	
8.	श्री एस० एस० खान, सहयुक्त नियोजक प्रा० विभाग, मु० नगर एवं ग्राम नियोजन, लखनऊ	
9.	डॉ. एस पाल संयुक्त निदेशक कोषागार (ग्रा० गु०)	12/5/99
10.	पी. के. शर्मा अधी. अभि., जल निगम	12/5/99
11.		
12.		

आज दिनांक 12.5.99 को मसूरी देहरादून विकास प्राधि
बोर्ड की बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री बी. एम. वोहरा की
अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्य एवं अधिकारी उपस्थि
थे:-

1-श्री बी. एम. वोहरा, आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2-श्री राम कृष्ण, उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा.,	उपाध्यक्ष
3-श्री तेजपाल सिंह, जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
4-श्री हरिश्चन्द्र जोशी, मुख्य नगर अधिकारी	सदस्य
5-श्री गणेश जोशी	सदस्य
6-श्री अमी चन्द मंगला	सदस्य
7-श्रीमती अनिता सक्सेना	सदस्य
8-श्री पी0के0शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जल निगम	प्रतिनिधि सदस्य
9-श्री एम0ए0खान, सहयुक्त नियोजक	प्रतिनिधि सदस्य
10-श्री जे0एस0पाल, संयुक्त निदेशक, कोषागार	प्रतिनिधि सदस्य

<u>अन्य उपस्थिति</u> :

1-श्री जी. बी. सिंह, सचिव एवं मु. न. नि., म. दे. वि. प्रा, देहरादून
2-श्री आर. पी. पसबोला, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, म. दे. वि. प्रा.,
3-श्री वी. के. सोनकर, अधिशासी अभियंता, म. दे. वि. प्रा., देहरादून

बिन्दुवार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी, देहरादून श्री तेजपाल सिंह, नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर अधिकारी, श्री हरिश्चन्द्र जोशी तथा प्राधिकरण बोर्ड के नव नियुक्त सदस्य श्री गणेश जोशी, अमी चन्द मंगला, श्रीमती अनिता सक्सेना एंव अन्य उपस्थित सदस्य गणों का स्वागत किया गयाऔर नव नियुक्त सदस्यों के प्राधिकरण की प्रथम बोर्ड बैठक में उपस्थित होने के लिए अभिनन्दित किया गया। इसके पश्चात सी0 अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का पारस्परिक परिचय कराया गया। परिचय के उपरान्त

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसकी कार्यवाही बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

गत बैठक दिनांक 13.10.98 की कार्यवाही की पुष्टि:

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिनांक 13.10.98 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यवाही पढ़ी गयी और कार्यवाही की पुष्टि किए जाने से पूर्व उपस्थित सभी सदस्यों का अभिमत प्राप्त किया गया। गत बैठक दिनांक 13.10.98 की कार्यवाही की पुष्टि करने से पूर्व गत बैठक के कुछ बिन्दुओं पर चर्चा हुई जो निम्न प्रकार हैं:-

1. गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या -5

यह विषय प्राधिकरण के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी दिए जाने के सम्बन्ध में है। इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान संयुक्त निदेशक, कोषागार द्वारा पृच्छा की गयी कि क्या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी वर्दी दी जा रही है, इस पर अवगत कराया गया कि वर्दी नियमानुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व पारित प्रस्ताव के अनुरूप पात्र कर्मचारियों को ही दी जा रही है।

2. गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-7

यह बिन्दु ईको फण्ड से विभिन्न पार्कों के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने के सम्बन्ध में है। इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान सदस्यों की जिज्ञासा पर अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा ईको फण्ड से विभिन्न पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण से सम्बन्धित विकास कार्य करवाया गया हैऔर वर्तमान समय में उक्त फण्ड में उपलब्ध धनराशि से देहरादून शहर में स्थित गांधी पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा

-----3--

रहा था लेकिन धनाभाव के कारण यह कार्य वर्तमान समय में रूका हुआ है।

3. गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-8

यह विषय पर्यटक स्थल भट्टाफाल, सहस्त्रधारा, गूलरघाटी की ग्राम समाज की भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में है। इस विषय पर विचार-विर्मश के उपरान्त सभी सदस्यों द्वारा मत प्रकट किया गया कि उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत उल्लिखित सभी पर्यटक स्थलों की भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाए। बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी, देहरादून से भी अनुरोध किया गया कि वे उक्त पर्यटक स्थलों की भूमि विकास प्राधिकरण को तत्काल हस्तान्तरित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को अपने स्तर से निर्देश जारी करें।

4. गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-10

यह बिन्दु देहरादून व मसूरी में वृक्षारोपण, फैंसिग एवं दी गार्ड के लिए ईको फण्ड से रू0-20-00 लाख आहरित करने के सम्बन्ध में है। इस विषय पर चर्चा के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा चकराता रोड़ पर कनाट प्लेस के पास किए गए रेलिंग/फैंसिंग की गुणवत्ता के सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त किया गया। आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार की फैसिंग/रेलिंग का कार्य उक्त स्थल पर किया गया है, उसकी गुणवत्ता अत्यन्त खराब है तथा निकट भविष्य में उक्त रेलिंग/फैसिंग उखाड़ कर गायब हो जायेगी इसलिए उन्होंने इस कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि शहर में जहां-जहां रेलिंग/फैंसिग कार्य की गुणवत्ता खराब है, उसे दोबारा सम्बन्धित ठेकेदार से बदलवाया जाए और जब तक ठेकेदार द्वारा

कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है, तब तक उसको कोई भुगतान न किया जाए।

इसी बिन्दु पर विचार-विर्मश के दौरान सहयुक्त नियोजक द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में प्रस्तावित किए जाने वाले विकास/सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित कार्यों के प्रस्ताव विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे इन प्रस्तावों पर बोर्ड का सुझाव भी प्राप्त किया जा सके। इस पर सभी सदस्यों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान आम सहमति से यह भी निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा ईको फण्ड के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से कराए जाने वाले वृक्षारोपण का कार्य जिन स्थानों पर अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, उसे फिलहाल रोक दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

5. गत बैठक की कार्यवाही का अन्य विषय क्रमांक-4

यह बिन्दु देहरादून शहर में दुग्ध नगर की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में है, पर विचार-विर्मश के दौरान बैठक में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा शहर क्षेत्र के अन्तर्गत डेरी संचालित करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं से विचार-विर्मश किया तथा इस सम्बन्ध में कई बैठकें भी आयोजित की गयी। बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत दो स्थानों पर क्रमशः बाईपास रोड एवं सहस्त्रधारा रोड पर दुग्ध नगर की स्थापना हेतु सम्बन्धित संस्थाओं एवं व्यक्तियों को स्थान दिखाए गए लेकिन इस सम्बन्ध में डेरी संचालकों एवं संस्थाओं द्वारा कोई सक्रिय सहयोग न दिए जाने के कारण दुग्ध नगर की स्थापना हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं हो

पाई है। मुख्य नगर अधिकारी द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि इस प्रकरण को खात्म न होने दिया जाए क्योंकि दुग्धा नगर की स्थापना शहर के सुनियोजित विकास का एक अनिवार्य भाग है।

6. गत बैठक की कार्यवाही का अन्य विषाय क्रमांक-5

यह बिन्दु बृजपाल आदि द्वारा धारमपुर स्टेट बैंक के समीप हरिद्वार रोड़ पर आवासीय क्षेत्र में दुकानों के निर्माण के संबंध में है, पर चर्चा के दौरान आम सहमति यह थी कि विपक्षी द्वारा बेसमेण्ट में बनाई गई दुकानों को ध्वस्त कर बेसमेण्ट का प्रयोग पार्किंग के लिए रखा जाए। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि पूर्व स्वीकृति के अनुरूप पक्ष नियमानुसार रैम्प बनाकर बेसमेण्ट को पार्किंग स्थल हेतु उपलब्ध कराए। प्राधिकरण द्वारा इस हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए। इस संदर्भ में एक कमेटी के गठन की बात भी हुई लेकिन आयुक्त महोदय द्वारा उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा को इस प्रकरण पर अपने स्तर से निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 13.10.98 की कार्यवाही की पुष्टि सर्व-सम्मति से की गयी।

आज की बैठक का एजेण्डा वार कार्यवृत्त

विषाय क्रमांक:-01

ग्राम अजबपुरकलां में स्थित रिस्पना नदी के पश्चिम तथा बाईपास के पूरब दिशा की ओर ख0नं0-824 (एम) की रिक्त भूमि विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अवगत कराया

कि ख0नं0-1235 की भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.6 हैक्टेयर है, पर ग्राम प्रधान द्वारा पट्टे काट दिए गए हैं तथा पट्टे पर दी गयी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण भी हो चुके हैं अतः उक्त ख0नं0-1235 की भूमि के स्वज में ख0नं0-824 (एम) की अवशेष भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.2 हैक्टेयर है, को विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने तथा 0.4 हैक्टेयर भूमि का मूल्य विकास प्राधिकरण को लौटा देने हेतु निर्णय लिया गया जिस पर जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

विषय क्रमांकः-02

विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) द्वितीय संशोधन उप विधि 1998 के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त इसे सर्व-सम्मत्ति से अनुमोदित किया गया। निर्देश दिए गए कि उक्त उपविधि-1998 को गजट नोटीफिकेशन हेतु शासन को प्रेषित किया जाय।

विषय क्रमांकः-03

14 औद्योगिक इकाईयों की स्पॉट जोनिंग के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सहयुक्त नियोजक ने सुझाव दिया कि प्रस्ताव में वर्णित औद्योगिक ईकोईयों की स्पाट जोनिंग हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को पारित करने से पूर्व इनका विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु उन्होंने एक कमेटी के गठन की बात कही। सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि सहयुक्त नियोजक उक्त औद्योगिक इकाईयों का विस्तृत सर्वेक्षण स्वयं करें तथा अपनी आख्या प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें जिससे इस सम्बन्ध में अग्रोत्तर कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त विषय पर चर्चा के दौरान यह भी निर्देश दिए गए कि विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से बन रही एवं चल रही औद्योगिक ईकाईयों की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।

विषय क्रमांक:-04

महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना और भवन निर्माण नियंत्रण उपविधियों में अनुमन्य एफ.ए.आर. में अतिरिक्त एफ.ए.आर. क्रय करने के सम्बन्ध में अधिसूचना।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि शासन द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में जारी की गयी अधिसूचना को विकास प्राधिकरण द्वारा लागू कर दिया गया है। सदस्यों द्वारा उक्त अधिसूचना का अवलोकन किया गया।

विषय क्रमांक:-05

भवन निर्माण उपविधि के अन्तर्गत गैराज हेतु निर्धारित 14.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बृद्धि के संदर्भ में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सहयुक्त नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा संशोधित भवन निर्माण उपविधि लागू की जाने वाली है। अतः निर्णय लिया गया कि तब तक यह प्रकरण स्थगित रखा जाए।

विषय क्रमांक:-06

ग्राम मेहूँवाला के खत0नं0-179, 185, 186 187 तथा ग्राम हरबंशवाला के खत0नं0-116 व 138 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सहयुक्त नियोजक द्वारा

सुझाव दिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित व्यक्तिगत प्रकरण बोर्ड के समक्ष कम से कम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि यह प्रक्रिया जारी रही तो महायोजना सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं हो पायेगी। अतः प्रस्ताव को सर्व-सम्मत्ति से अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक:-07

शासन द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार आश्रय योजना के अन्तर्गत बनाए गए 100 दुर्बल आय वर्ग के भवनों पर दी जाने वाली सब्सिडी पर विचार

विचार-विर्मश के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा जिज्ञासा प्रकट की गयी कि क्या विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त स्थल पर बनाए जाने वाले अन्य भवनों की मांग का सर्वेक्षण किया गया है जिससे उपरोक्त धनराशि रू0-18 लाख को भविष्य में बनाए जाने वाले भवनों पर समायोजित किया जा सके। इस पर बैठक में अवगत् कराया गया कि प्रश्नगत स्थल पर अन्य भवनों की पर्याप्त मांग जनता से प्राप्त हो रही है और यदि विकास प्राधिकरण द्वारा यहां पर नए भवनों का निर्माण किया जाता है तो वह तत्काल बिक जायेंगे। और उपरोक्त सब्सिडाईज धनराशि रू0-18 लाख को इन भवनों पर समायोजित किया जा सकता है।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विर्मश के उपरान्त सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण करके प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए और इस बीच विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित उपरोक्त भवनों का निस्तारण प्रस्ताव में वर्णित धनराशि रू0-40 एवं 45 हजार में करने हेतु सर्व-

सम्मत्ति से निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक:-08

ट्रान्सपोर्ट नगर को नए सिरे से प्रारम्भ करने तथा इसके लिए हडको से ऋण लिए जाने के प्रस्ताव पर विचार

प्रस्ताव पर विस्तृत विचारोपरान्त सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण हडको से आपरेशन लोन प्राप्त कर सकता है तथा इस अवधि में योजना के लिए पंजीकरण खोलते हुए योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। साथ ही योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में प्राधिकरण कोष से रू0-98 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के सम्बन्ध में भी आम सहमति से निर्णय लिया गया। ट्रान्सपोर्ट नगर की भूमि के सीमांकन हेतु सहारनपुर हरिद्वार बाईपास के किनारे लगी बार्बड बायरिंग (निष्प्रयोज्य) को कार्यहित में उपयोग करने के उपाध्यक्ष, म.दे.वि.प्रा. को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक:-09

गूलरघाटी को नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार।

विस्तृत विचारोपरान्त सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्यटन विभाग से धनराशि उपलब्ध कराने हेतु विकास प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही की जाए।

विषय क्रमांक:-10

मसूरी नगर में वर्ष 1992 में बनाए गए घोडा स्टैण्ड के पेमेण्ट के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण उक्त स्थल को तत्काल अपने कब्जे में लेकर घोडा स्टैण्ड को पुनः संचालित करवाएं तथा घोडा स्टैण्ड के निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित ठेकेदार द्वारा जो धनराशि खर्च की गयी है, उसका भुगतान नियमानुसार करने हेतु उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा. को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांकः-11

सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पूर्व स्वीकृत आवास किराया रू0-2500/- प्रतिमाह भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांकः-12

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के आवास किराए के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य विकास प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा. तदानुसार आयुक्त/अध्यक्ष को आख्या प्रस्तुत करें। आयुक्त/अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्णय लेने हेतु आम सहमति प्रकट की गयी ।

विषय क्रमांक:-13

श्री एन. एस. रावत, वैयक्तिक सहायक आयुक्त/अध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा. को पूर्व स्वीकृत मानदेय रू0-150/- की वृद्धि करके रू0-500/- प्रतिमाह किए जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक:-14

श्री भगवती प्रसाद शर्मा, जूनियर प्रोग्रामर को एक मुश्त मासिक रू0-3000/- में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। वर्तमान महंगाई तथा पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पद के अनुरूप श्री भगवती प्रसाद शर्मा, जूनियर प्रोग्रामर को रू0-4000/- एक मुश्त मासिक भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक:-15

सर्वेक्षण सहायक (डिप्लोमा होल्डर) तथा ड्राफ्टसमैन का एक पद स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में ।

विस्तृत विचारोपरान्त सर्वेक्षण सहायक (डिप्लोमा होल्डर) ड्राफ्टसमैन के एक-एक पद के सृजन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किए जाने हेतु सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांकः-16

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ते में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्रमशः रू0-120 तथा रू0-60/- चिकित्सा भत्ता दिए जाने हेतु सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांकः-17

प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में स्ट्रीट लाईट मद पर व्यय किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया कि नगर निगम सीमा के अन्तर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई आवासीय कालोनियों को हस्तान्तरित कर दिया जाये। हस्तान्तरित करने से पूर्व यदि कोई विकास कार्य अधूरा रह गया हो तो अधूरे कार्य को पूरा कराने हेतु निर्धारित धनराशि नगर निगम को उपलब्ध कर दी जाए। नगर निगम की अधिसूचना जारी होने से पूर्व स्ट्रीट लाईट आदि के मद पर व्यय विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाए ।

विषय क्रमांकः-18

प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार एरियर दिए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तथा यह निर्णय

12.5.99

लिया गया कि प्राधिकरण में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को श्रम अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना के दिनांक से बढ़ी हुई दरों के अन्तर का एरियर दिए जाने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक:-19

डिफेन्स कालोनी एवं बसन्त विहार कालोनी में मानचित्र स्वीकृति हेतु आरोपित विकास शुल्क के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा यह निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों कालोनियों के अन्तर्गत विकास शुल्क रू0-26 प्रति वर्ग मीटर की दर से आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जाये।

विषय क्रमांक:-20

प्राधिकरण द्वारा अनुबन्धित अधिवक्ताओं को देय मासिक मानदेय में बढ़ोत्तरी करने तथा एक अन्य अधिवक्ता श्री जुगल किशोर तिवारी को मासिक मानदेय पर अनुबन्धित किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त विषय पर चर्चा के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बात पर असंतोष प्रकट किया गया कि विकास प्राधिकरण के वादों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता गण उनके न्यायालय में नियत वादों की पैरवी प्रभावी ढंग से नहीं कर रहे हैं। कई मामलों में तो अधिवक्ता नियत तिथि पर भी बहस हेतु उपस्थित नहीं होते हैं जिससे निर्णय प्राधिकरण के विरूद्ध हो जाता है आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी कहा गया कि वाद कार्यों में लगाए गए विकास प्राधिकरण के कर्मचारी वाद पत्रावलियों का उचित रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं। उनका यह भी कहना

था कि कई पत्रावलियों में महत्वपूर्ण पृष्ठ भी गायब रहते हैं। उन्होंने उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में यदि इस प्रकार की त्रुटि पुनः पाई जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

विषय क्रमांक:-21

राजपुर रोड पर एस्लेहाल तथा सेंट जोजफ स्कूल के पास स्थित एकता स्मारक (ग्लोब चौराहे) के स्थान पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित किए जाने के संबंध में ।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि मूर्ति स्थापना के संदर्भ में जिलाधिकारी, देहरादून से परामर्श लेने के उपरान्त विकास प्राधिकरण द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाए।

विषय क्रमांक:-22

शालिनी मेमोरियल स्कूल आमवाला तरला के स्वामी द्वारा आरोपित शुल्क को कम किए जाने के संबंध में

प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में निम्न कमेटी का गठन किया जाए:-

1-उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0	अध्यक्ष
2-श्री गणेश जोशी	सदस्य
3-श्रीमती अनिता सक्सेना	सदस्य

उक्त कमेटी अपनी संस्तुति आयुक्त/अध्यक्ष को अंतिम निस्तारण हेतु शीघ्र प्रेषित करेगी।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान बोर्ड की सदस्या श्रीमती अनिता सक्सेना द्वारा ग्राम जाखन स्थित पर्वतीय कालोनी के भवन मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में बोर्ड का ध्यान आकृष्ठित किया गया। इस पर सदस्यों द्वारा कहा गया कि उक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार-विर्मश हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष आना चाहिए। निर्णय लिया गया कि उक्त बिन्दु पर विचार हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय क्रमांकः-23

वर्ष 1998-99 का संशोधित एवं वर्ष 1999-2000 का प्रस्तावित बजट ।

प्राधिकरण के वर्ष 1998-99 के लिए संशोधित एवं वर्ष 1999-2000 के लिए प्रस्तावित बजट में प्रदर्शित विभिन्न मदों पर विचार-विर्मश के दौरान प्राधिकरण सदस्य श्री अमी चन्द मंगलउ द्वारा कहा गया कि उक्त बजट में मसूरी शाहर के विकास/सौन्दर्यीकरण हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया है। श्री मंगला द्वारा मसूरी शाहर के विकास/सौन्दर्यीकरण हेतु बजट में धनराशि का प्राविधान करने हेतु अनुरोध किया गया। इस पर सदस्यों द्वारा अवगत् कराया गया कि चूँकि मसूरी नगर-पालिका क्षेत्र के अर्न्तगत निर्माण कार्यो को मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है जिससे मसूरी में अभी कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखाते हुए मसूरी शाहर के विकास/निर्माण के लिए कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया। सदस्यों द्वारा इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि इस बीच यदि मसूरी में कोई ऐसा निर्माण/विकास कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है, जो मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबन्धित निर्माण की

श्रेणी में नहीं आता है तो इसके लिए प्राधिकरण द्वारा परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव पारित कराते हुए धनराशि की व्यवस्था कराई जा सकती है।

बजट प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि बजट प्रस्ताव के अन्तर्गत ओपनिंग बैलेन्स तथा कैस इन हैण्ड का विवरण प्रदर्शित नहीं किया गया है अतः उन्होंने निर्देश दिए कि उक्त सूचना उन्हें पृथक से उपलब्ध कराई जाए।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत जो भवन बिक्री हेतु अवशेष हैं उनके निस्तारण के लिए एक कार्य योजना विकास प्राधिकरण द्वारा तत्काल बनाई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विक्रय हेतु अवशेष भवनों का डेप्रिसियेशन मूल्य निकाल कर उन्हें आसान किश्तों पर विक्रय कर दिया जाए।

उपरोक्त विचार-विर्मश के उपरान्त मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का वर्ष 1998-99 के लिए संशोधित एवं वर्ष 1999-2000 के लिए प्रस्तावित बजट आय रू0-1560.64 करोड़ एवं व्यय रू0-1474.35 करोड़ रू0 सर्व-सम्मति से पारित किया गया।

बजट प्रस्ताव के बिन्दु पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम के पास सहस्त्रधारा बाईपास में कुछ भूमि वर्तमान में रिक्त उपलब्ध है। विकास प्राधिकरण इस भूमि पर अपनी आवासीय योजना का निर्माण कर सकता है, इसके लिए विकास प्राधिकरण नगर निगम को धनराशि उपलब्ध करा दे तो नगर निगम द्वारा यह भूमि विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित

की जा सकती है। आम सहमति से निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा. एवं मुख्य नगर अधिकारी इस सम्बन्ध में अपने स्तर से तत्काल कार्यवाही करें। विकास प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार इस भूमि को नगर निगम से क्रय करने हेतु उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० को अधिकृत किया गया।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून द्वारा सुझाव दिया गया कि नगर क्षेत्र में स्थित दो पार्किंग स्थलों क्रमशः टेलीफोन एक्सचेंज के सामने व गांधी पार्क के सामने की नीलामी नगर निगम द्वारा की जानी चाहिए। इस पर अवगत् कराया गया कि उक्त दोनों स्थलों की नीलामी पूर्व से ही विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती रही है। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए कि अब उपरोक्त दोनों स्थलों पर पार्किंग का रखारखाव एवं नीलामी का कार्य. नगर निगम द्वारा ही किया जाए।

बजट प्रस्ताव के अन्तर्गत ही चर्चा के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि गत वर्ष नगरपालिका मसूरी द्वारा मसूरी में आयोजित किए गए उत्तराखण्ड महोत्सव के लिए जिलाधिकारी कोष एवं विकास प्राधिकरण कोष से कुछ धनराशि उक्त महोत्सव के आयोजन के लिए दिए जाने का आश्वासन नगरपालिका परिषद, मसूरी को दिया गया था लेकिन उक्त धनराशि का भुगतान अभी तक नगरपालिका परिषद, मसूरी को नहीं किया गया है। आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून एवं उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि उक्त धनराशि रू0-50,000/- का तत्काल भुगतान नगरपालिका परिषद, मसूरी को कर दिया जाए।

बजट प्रस्ताव के अन्तर्गत ही चर्चा के दौरान प्राधिकरण सदस्य श्री गणेश जोशी द्वारा सुझाव दिया गया कि शहर क्षेत्र से लगे हुए किसी उपयुक्त क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा छोटी-छोटी दुकानें बनाकर स्थानीय बेरोजगारों को उपलब्ध करा दी जाए। इस

--18--

पर सभी सदस्यों का मत था कि बेरोजगारों का अभिज्ञान किस प्रकार किया जायेगा। सदस्यों के विचार सुनने के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर गहन विचार करने के उपरान्त एक ठोस प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

अन्य विषय क्रमांक:-01

250 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक के आवासीय भवनों के मानचित्रों को स्वीकृत करने से पूर्व फ्रण्ट सैट बैक में पेड़ लगाए जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखाते हुए 250 वर्ग मीटर से अधिक के भूखाण्डों के आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत करते हुए न्यूनतम् 04 पेड़ भूखाण्ड के अग्र सैट बैक में लगाने के प्राविधान सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्व-सम्मत्ति से पारित किया गया।

अन्य विषय क्रमांक:02

नगर पालिका परिषद/नगर निगम की सीमा से बाहर सड़कों पर होर्डिंग/बैनर हेतु शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि इस कार्य हेतु नगर निगम द्वारा जो दर लगाई जा रही है, उसी के अनुरूप विकास प्राधिकरण द्वारा भी कार्यवाही की जाए। आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि विकास प्राधिकरणद्वारा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत परमिट किए जाने वाले बैनर एवं होर्डिंग के आकार-प्रकार में समानता होनी चाहिए।

अन्य विषय क्रमांक:-03

ग्राम कुल्हान मानसिंह के अन्तर्गत ख0नं0-45, 46, 49, 50, 51, 52 एवं 53 (एम) क्षेत्रफल 17.203 वर्गमीटर के महा-योजना भू-उपयोग कृषि, को शैक्षिक भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि जिस उद्देश्य के लिए उपयोग परिवर्तन का यह प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसके संदर्भ में पहले विषाय का परीक्षाण एवं स्थल निरीक्षाण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिस उद्देश्य के लिए प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मौके पर भी निर्माण कार्य उसी उद्देश्य के लिए किया जायेगा। सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, म. दे. वि.प्रा. उक्त के संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कराकर प्रकरण निर्णय हेतु आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

इसी बिन्द पर चर्चा के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि मालसी डियर पार्क के पास एक अन्य प्रकरण प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 13.10.98 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर उन्होंने सहयुक्त नियोजक को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिए लेकिन उक्त प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में सहयुक्त नियोजक द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के उपरोक्त के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का पालन यथा समय कर लिया गया था लेकिन यह प्रकरण किन परिस्थितियों में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर रोष प्रकट करते हुए निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित प्रकरण पर उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा. पत्रावली सहित 03 दिन के अन्दर आख्या उनके समक्ष प्रस्तुत करें। आयुक्त/अध्यक्ष

12.5.99

द्वारा उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा. को यह भी निर्देश दिए गए कि वे इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को भी नामित करें जिससे उस अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

अन्य विषाय क्रमांकः-04

विशिष्ट प्रकृति के डिजाईन कार्य हेतु प्राईवेट आर्कीटेक्ट से कन्सलटैन्सी करवाने के सम्बन्धा में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा दान्सपोर्ट नगर हेतु बनाए गए प्लान मंगाकर विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्धा में अपने स्तर से ही कार्यवाही की जानी चाहिए। आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा भी अवगत् करवाया कि वर्तमान में विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इतनी अधिक धानराशि डिजाइन कार्य हेतु प्राईवेट आर्कीटेक्ट को दे सकें।

सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि दान्सपोर्ट नगर में विकास प्राधिकरण सर्व-प्रथम दान्सपोटरों से उनकी आवश्यकताओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर लें, तदोपरान्त ही इस प्रकरण पर विचार किया जायेगा। अतः तदनुसार प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

अन्य विषाय क्रमांकः-05

भवन मानचित्रों को स्वीकृत करते समय लिए जाने वाले शुल्कों के सम्बन्धा में ।

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा विचार विर्मश किया गया और बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय सर्व-सम्मत्ति से लिए गए:-

1. निर्मित भवन यदि वर्ष 1973 से पूर्व का है तथा वर्ष 1973 के पश्चात् किए गए अथवा प्रस्तावित निर्माण पर विकास शुल्क

12.5.99

रू0-26/- प्रति वर्ग मीटर भू-आच्छादित क्षेत्रफल पर लगाया जाए लेकिन 1973 से पूर्व के निर्माण पर कोई विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसी के साथ प्रस्ताव में वर्णित बिन्दु संख्या-2, 3, 4, 5 को सर्व-सम्मति से विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-6 के संदर्भ में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि भवन मानचित्रों पर लगाए जाने वाली आपत्तियों से पक्षा को एक बार ही अवगत कराया जाए उपाध्यक्षा यह कार्य अपने स्तर से सुनिश्चित करें कि उक्त आदेश का पालन किस प्रकार किया जाये।

उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री गणेश जोशी, सदस्य, म. दे. वि. प्रा. द्वारा अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कई विकास कार्यों के निर्माण हेतु अनुबन्धा कर लिए गए हैं लेकिन यह अनुबन्धित कार्य धानाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किए जा रहे हैं, उनका सुझाव था कि कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए यह कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिए जाने चाहिए।

विचारोपरान्त सभी सदस्यों का यह मत था कि निर्माण/विकास कार्यों की प्राथमिकताएं उपाध्यक्षा के स्तर से ही तय होनी चाहिए

अन्य विषय क्रमांक:-06

डालनवाला स्थित उपाध्यक्षा आवास/शिविर कार्यालय हेतु स्टैण्डर्ड निर्धारित करने के सम्बन्धा में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सहयुक्त नियोजक द्वारा बैठक को अवगत कराया गया कि अधिकारियों के आवास/शिविर कार्यालय हेतु स्टैण्डर्ड रेण्ट निर्धारित किए जाने के सम्बन्धा में लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अभी हाल ही में एक नया शासनादेश जारी किया गया है अतः उनका सुझाव था कि इस सम्बन्धा में उक्त शासनादेश के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रस्ताव पर विस्तृत विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्रकरण

प्राप्त करने के उपरान्त आयुक्त/अध्यक्ष के निर्णयार्थ आख्या प्रेषित की जाए जिससे प्रकरण पर अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सके।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-17

यह बिन्दु विकास प्राधिकरण की नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाली समस्त कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में है। इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान प्रशासक नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा शासन स्तर से पत्राचार किया गया है परन्तु अभी शासन से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके कारण कालोनियों के हस्तान्तरण का कार्य नहीं हो पा रहा है। सदस्यों का सुझाव था कि जब तक विकास प्राधिकरण की उक्त कालोनियां नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हो पाती हैं, तब तक प्राधिकरण इन कालोनियों का रखरखाव अपने स्तर से करें तथा रखरखाव का व्यय भी सम्बन्धित कालोनी से वसूल किया जाए।

इस सम्बन्ध में आम सहमति से यह भी निर्णय लिया गया कि कालोनियों के नगर निगम को हस्तान्तरण हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं प्रशासक नगर निगम अपने स्तर से कार्यवाही शीघ्र करें।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-18

यह बिन्दु प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप एरियर दिए जाने के सम्बन्ध में है। इस बिन्दु पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। विचारोपरान्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति सर्व-सम्मति से प्रदान की गयी।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-20

यह बिन्दु विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबन्धित अधिवक्ताओं को देय मासिक मानदेय में बढ़ोत्तरी करने तथा एक अन्य अधिवक्ता श्री जुगल किशोर तिवारी को मासिक मानदेय पर अनुबन्धित किए जाने

के सम्बन्ध में है। इस बिन्दु पर चर्चा के दौरान सदस्यों का यह मत था कि यह प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने योग्य नहीं है। इस पर उपाध्यक्ष, मा0दे0वि0प्रा0 द्वारा ही अपने स्तर से ही विकास प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुरूप निर्णय ले लिया जाए।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-2।

यह बिन्दु राजपुर रोड पर एस्लेहाल तथा सेंट जोजफ अकादमी स्कूल के पास एकता स्मारक (ग्लोब चौराहे) के स्थान पर महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में है। इस बिन्दु पर विस्तार से विचार-विर्मश हुआ। सदस्य श्री अमीचन्द मंगला द्वारा सुझाव दिया गया कि मूर्ति उचित ऊँचाई तथा सुन्दरतम् लगाई जाए। विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, मा0दे0वि0प्रा0 एवं जिलाधिकारी, देहरादून को सर्व-सम्मति से अधिकृत किया गया।

गत बैठक की कार्यवाही का अन्य विषय-08

यह बिन्दु मसूरी क्षेत्र में खाट्टापानी नामक स्थान को नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के सम्बन्ध में है। इस बिन्दु पर बैठक में विचार विर्मश के दौरान सदस्य श्री अमीचन्द मंगला द्वारा अवगत् कराया गया कि उक्त पर्यटक स्थल को विकसित किए जाने के सम्बन्ध में विगत में हुई बैठकों के अनुरूप विकास प्राधिकरण स्तर से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो पाई है जिससे योजना के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। आम सहमति से हयह निर्देश दिए गए कि विकास प्राधिकरण से वांछित रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करवाते हुए उपाध्यक्ष, मा0दे0वि0प्रा0 अपने स्तर से योजना के क्रियान्वयन हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

गत बैठक की कार्यवाही का अन्य विषय-10

यह बिन्दु प्राधिकरण के लेखा सम्बन्धी कार्यो हेतु चार्टेड एकाउण्टेण्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। विचार-विर्मश के दौरान अवगत् कराया गया कि प्राधिकरण की गत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप उक्त कार्यो हेतु चार्टेड एकाउण्टेण्ट की नियुक्ति कर दी गयी है।

को आयुक्त/अध्यक्ष महोदय अपने स्तर से निस्तारित कर दें। आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उपाध्यक्ष, म. दे, वि. प्रा. इस सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट बनाकर निर्णय हेतु प्रकरण उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

अन्य विषय क्रमांक:-07

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई । आम सहमति यह थी कि विकास/निर्माण कार्यों की प्राथमिकता उपाध्यक्ष स्तर से ही तय हो जानी चाहिए। सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि विकास क्षेत्र के जिस हिस्से से जो धनराशि प्राप्त होती है, उसका व्यय उसी क्षेत्र के विकास पर किया जाना चाहिए। उनका सुझाव था कि इस हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त शुल्कों की पृथक-पृथक सूची तैयार करा ली जाए तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति द्वारा निर्माण कार्यों के प्राथमिकता के बारे में निर्णय लिया जाए।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि भविष्य में केवल नीति विषायक प्रकरण ही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

अन्य विषय क्रमांक:-08

मसूरी क्षेत्र में खाट्टापानी नामक स्थान को नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि उक्त पर्यटक स्थल के विकास हेतु विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

को आयुक्त/अध्यक्ष महोदय अपने स्तर से निस्तारित कर दें। आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उपाध्यक्ष, म. दे, वि. प्रा. इस सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट बनाकर निर्णय हेतु प्रकरण उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

अन्य विषय क्रमांक:-07

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई । आम सहमति यह थी कि विकास/निर्माण कार्यों की प्राथमिकता उपाध्यक्ष स्तर से ही तय हो जानी चाहिए। सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि विकास क्षेत्र के जिस हिस्से से जो धनराशि प्राप्त होती है, उसका व्यय उसी क्षेत्र के विकास पर किया जाना चाहिए। उनका सुझाव था कि इस हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त शुल्कों की पृथक-पृथक सूची तैयार करा ली जाए तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति द्वारा निर्माण कार्यों के प्राथमिकता के बारे में निर्णय लिया जाए।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि भविष्य में केवल नीति विषायक प्रकरण ही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

अन्य विषय क्रमांक:-08

मसूरी क्षेत्र में खाद्टापानी नामक स्थान को नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सर्व-सम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि उक्त पर्यटक स्थल के विकास हेतु विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अन्य विषय क्रमांकः-09

ग्राम अजबपुरकलां स्थित ख0नं0-1018 क्षेत्रफल 1487 के भू-उपयोग को आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी ।

प्रस्ताव पर विस्तर से चर्चा हुई। सर्व-सम्मत्ति से ग्राम अजबपुरकलां के ख0नं0-1018 क्षेत्रफल 1487 वर्ग मीटर भूमि के भू-उपयोग आवासीय को व्यावसायिक कार्यालय उपयोग में परिवर्तित करने का निर्णय लियागया । पक्षा को नियमानुसार परिवर्तन शुल्क देना होगा ।

अन्य विषय क्रमांकः-10

वि0प्रा0 के लेखा सम्बन्धी कार्यो हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेण्ड की नियुक्ति के सम्बन्धा में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। विकास प्राधिकरण के लेखा सम्बन्धी कार्यो हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेण्ड की नियुक्ति किए जाने हेतु सर्व-सम्मत्ति से उपाध्यक्ष, म. दे. वि. प्रा. को अधिकृत किया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि उपाध्यक्ष इस हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर पात्र व्यक्ति को उक्त कार्य हेतु नियुक्त करें।

अन्त में बैठक की कार्यवाही समाप्त करने से पूर्व प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री भुवनेश्वर सिंह के आकस्मिक निधान पर सभी सदस्यों द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया। साथ ही श्री सिंह द्वारा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास क्षेत्र के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्यो की सभी सदस्यों द्वारा सराहना की गयी।

27.5.99

(जी. बी. सिंह)
सचिव,
म. दे. वि. प्रा.

(राम कृष्ण)
उपाध्यक्ष
म. दे. वि. प्रा.
देहरादून ।

27.5.99

31/5/99

(बी. एम. वोहरा)
आयुक्त,
गढवाल मण्डल
अध्यक्ष,
म. दे. वि. प्रा., देहरादून ।